

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

जयपुर, दिनांक- 19 NOV 2020

क्रमांक प. 25(15)आयु./2017

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.25(15)आयु./2017 दिनांक 13.04.2017 के अतिक्रमण में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभागान्तर्गत संचालित समस्त चिकित्सालयों/ औषधालयों में बहिरंग रोगियों को देखने (ओ.पी.डी.) का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है -

क. स.	संस्था	अवधि	समय (ओ.पी.डी)	मध्यान्तर
1	राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय / चिकित्सालय / औषधालय (ग्रामीण एवं शहरी)	01 अप्रैल से 30 सितम्बर	प्रातः 8.00 बजे से अपरान्हः 3.00 बजे तक, (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे तक)	दोपहर 12.00 बजे से 01.00 बजे तक
		01 अक्टूबर से 31 मार्च	प्रातः 9.00 बजे से अपरान्हः 4.00 बजे तक, (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिनों में प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक)	
2	आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर संचालित विभागीय चिकित्सालय/ औषधालय	उपर्युक्तानुसार।		
3	विभागीय चिकित्सालय/ औषधालय जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिसर में संचालित है	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार।		

नोट - जिन विभागीय चिकित्सा केन्द्रों पर योगाभ्यास कार्यक्रम प्रतिदिन संचालित होता है, उनका समय प्रातःकाल भी 2 घंटे रखा जावे।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,

(आर.पी. चतुर्वेदी)
शासन उप. सचिव

राजस्थान - सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक: प.3/सामा.1/समय परि./2020/15763

दिनांक: 23.11.2020

- वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
- कुल सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- प्राचार्य, राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
- प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
- अतिरिक्त निदेशक (सम्भाग) आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, समस्त।
- उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान समस्त।
- प्रभारी, राजकीय आयुर्वेद शल्य चल चिकित्सा इकाई, अजमेर।
- प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- प्रभारी प्रतिष्ठापन/जांच शाखा आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।

अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद)